(6)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्या:— 43 / 2017
दायर दिनांक :— 01.08..2017
निर्णय दिनांक :— 26.02.2018

अनवान

फतह सिंह पिता स्व0श्री केसरसिंहं जाति राजपूत निवासी निमझर तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत कालेसरिया द्वारा उसके सरपंच पंचायत पंचायत समिति देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत कालेसरिया द्वारा उसके ग्राम सेवक पदेन सचिव पंचायत समिति देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण / गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश दिनांक 20.12.2014 जो सरंपच ग्राम पंचायत कालेसरिया द्वारा जारी किय जिसके द्वारा प्रार्थी के पीढियों के कोट (भवन) तथा भूखण्ड से बेदखल करने का आदेश दिया

उपस्थित :—

1—श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2—श्री दिग्वजयसिंह, अधिवक्ता ,विपक्षीगण / गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत कालेसरिया ने अपने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.06.2011 के द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड से बेदखल करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया तथा बेदखली पूर्ण प्रार्थी को सुनवाई का भी कोई मौका नही दिया । इसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत कालेसरिया ने दिनांक 07.10.2011 को प्रार्थी के भूखण्ड का मालिकाना हक की जायदाद से मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे जो नोटिस प्रार्थी को नहीं मिला इसके बाद सरपंच ने प्रार्थी को दिनांक 27.11.2014 को फिर नोटिस ,जारी किया ,जिस पर प्रार्थी ने पंचायत में पेश होकर के अपने मालिकाना हक के दस्तावेज व पंचायत के पूर्व निर्णय दिनांक 24.06. 1968 की प्रति प्रार्थी स्वयं ने सरपंच को दी तथा व्यक्तिगत सुनवाई एवं मालिकाना हक के अन्य दस्तावेज व सबूत प्रस्तुत करने हेतु सयम के लिये निवेदन किया ,परन्तु सरपंच ने अपनी ओर से आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2014 को देकर उक्त भूमि पर से प्रार्थी को तीन दिवस के अन्दर कब्जा हटा लेने का आदेश दिया तथा तीन दिवस में नही हटाने

(7)

पर पंचायत द्वारा हटाने से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2014 का आदेश निरस्त फरमाया जावे। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराया कि निगराकार प्रार्थी का का ग्राम निरझर के मजरा निचला बाडिया के आराजी खसरा नम्बर 482 में पुराना पीढियों का कोट (भवन) आया हुआ है। उक्त भवन तथा उसके चारों तरफ चार दीवारी जागीरकाल से बनी हुई है तथा उस पर गेट लगाया हुआ है। जिसके पडौस निम्न प्रकार हैं:—

उत्तर में :—भंवरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह चुण्डावत का खेत

दक्षिण में:—हेण्ड पम्प का रास्ता

पूर्व में:— प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि

पश्चिम में:— कालूसिंह रावत का मकान आया हुआ है।

उपरोक्त ग्राम निमझर के आराजी नम्बर 482 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा गैर मु0 आबादी जागीर काल से है तथा उक्त रकबा ग्राम पंचायत बनने भी बहुत पहले से प्रार्थी के पिता स्व0 श्री केसरसिंह पुत्र श्री रावतसिंह के सामलात मालिकाना हक में होने से खतोनी खसरा संम्वत 1999—2001 उनके नाम से दर्ज किया गया है। तथा उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का रकबा 16 बिस्वा के प्रार्थी के पिता के मालिकाना हक आधिपत्य व कब्जे में था तथा उपरोक्त कोट (भवन) प्रार्थी के पिता केसरसिंह जी के द्वारा बनाया हुआ है। जो केसरसिंह जी के देहान्त के बाद प्रार्थी को उत्तराधिकार में प्राप्त होने पर प्रार्थी इस पर पिढियों से काबिज है। उपरोक्त कोट (भवन) की बाबत बापी पटटा प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत कालेसरिया में एक प्रार्थना पत्र धारा 256 हरनाथसिंह पुत्र माधुसिंह साकिन निमझर ने दिनांक 02.01.1963 को प्रस्तुत किया जिसकी ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 1 सन् 1963—64 कायम की तथा उस पर ग्रामवासियों से सार्वजनिक उजर एतराज लिये तथा बाद साक्ष्य सबूत के इसका फैसला दिनांक 24.06.1968 को किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 482 पर बने मकान व भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्व0 केसरसिंह जी के हाने का निर्णय दिया। ग्राम पंचायत कालेसरिया ने अपने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.06.2011 के द्वारा प्रार्थी को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड से बेदखल करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया तथा बेदखली पूर्ण प्रार्थी को सुनवाई का भी कोई मौका नही दिया इसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत कालेसरिया ने दिनांक 07.10.2011 को प्रार्थी के भूखण्ड का मालिकाना हक की जायदाद से मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे जो नोटिस प्रार्थी को नहीं मिला इसके बाद सरपंच ने प्रार्थी को दिनांक 27.11.2014 को फिर नोटिस जारी किया ,जिस पर प्रार्थी ने पंचायत में पेश होकर के अपने मालिकाना हक के दस्तावेज व पंचायत के पूर्व निर्णय दिनांक 24.06. 1968 की प्रति प्रार्थी स्वयं ने सरपंच को दी तथा व्यक्तिगत सुनवाई एवं

मालिकाना हक के अन्य दस्तावेज व सबूत प्रस्तुत करने हेतु सयम के लिये निवेदन किया ,परन्तु सरपंच ने अपनी ओर से आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2014 को देकर उक्त भूमि पर से प्रार्थी को तीन दिवस के अन्दर कब्जा हटा लेने का आदेश दिया तथा तीन दिवस में नही हटाने पर पंचायत द्वारा हटाने से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2014 का आदेश निरस्त फरमाया जावे। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत कालेसरिया द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड से बेदखली का नोटिस दिनांक 07.06.2011 को दिया गया। पुन बेदखली का नोटिस दिनांक 27.11.2014 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2014 को अन्तिम कब्जा हटाने हेतु नोटिस दिया गया । अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी सभी नोटिस विधि अनुसार दिये गये है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पूर्व के फैसले में आराजी नम्बर का वर्णन नहीं है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पूर्व का फैसला किस खसरा नम्बर से सम्बन्धित हैं निगरानीकार द्वारा बताया है कि उसे बेदखल किया जा रहा है। यह भी पूर्णतया स्वीकार नहीं हैं ,क्योकि निगरानीकार द्वारा जो मकान बना रखा हैं उससे उन्हें बेदखल नहीं किया जा रहा है। परन्तु गै0मु0 आबादी भूमि जो ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में हैं । उस पर मकान के अतिरिक्त खाली भूमि पर कब्जा कर रखा हैं उसे ही बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार के बने हुए मकान से बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है। परन्तु शेष खाली भूमि जो पंचायत की हैं ,इस पर से नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जा रही है। अतः निगराकार की निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है। जो मकान पूर्व में बना हुआ है , उसका कब्जा नहीं हटाया जावे। शेष खाली भूमि से नियमानुसार कब्जा हटाने के लिये ग्राम पंचायत के उपरोक्त आदेश पर कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। खाली भूमि (आबादी) पर पंचायत का आदेश यथावत रहेगा । ऐसी स्थिति में निगराकार की निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

निगराकार की निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है। खाली भूमि (आबादी) पर पंचायत का आदेश यथावत रहेगा ।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द